

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

सीकर-II अलीगढ़ ट्रान्समिशन लिमिटेड (पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर-राजस्थान के द्वारा 765 के0वी0 डी/सी सीकर-II अलीगढ़ ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दायी व बाँयी दोनों पटरियों की 0.5293 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. - 146255/2021

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 24-05-2022

स्थान : आगरा।

(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक, वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।
आगरा वृत्त, आगरा।